MAINTENANCE FOR WOMEN, CHILDREN & PARENTS UNDER SECTION 125 CR.P.C.

1. Who are entitled to claim maintenance and from whom under Section 125 Cr.P.C?

Ans. The following are entitled to claim maintenance from a person under 125 Cr P C:

0	•					
Who can claim		From claime		maintenance	can	be
a.	Wife		a.	Husband		
b.	Minor Children		b.	Father		
C. (Children with mental or		C.	Father		
	physical disability		d.	Son		
d.	Parents					

2. What is the limit of maintenance amount which can be awarded under this provision?

Ans. There is no limit to the amount which can be awarded as maintenance under 125 Cr.P.C.

3. Can interim maintenance be also awarded?

Ans. Yes, interim maintenance can also be awarded.

4. Which Courts are entitled to entertain and decide applications u/s 125 Cr.P.C?

Ans. Proceeding may be taken against any person before a Judicial Magistrate of any district:-

- a) where he is, or
- b) where he or his wife resides, or
- c) where he last resided with his wife, or as the case may be, with the mother of the illegitimate child.

5. How the order of the Court is to be executed/implemented?

Ans. The Judicial Magistrate can send the defaulter to civil imprisonment extending to one month for every months default.

धारा 125 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत औरतों, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण का प्रावधान

प्रश्न धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता के लिए कौन हकदार हैं और किस से गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है?

उत्तरः निम्नलिखित व्यक्ति धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता के लिए हकदार हैं:-

जो हकदार हैं	जिनसे गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है		
क. पत्नी ख. अव्यस्क बच्चे ग. मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे घ. माता-पिता	क. पति ख. पिता ग. पिता घ. बेटा		

प्रश्न उक्त प्रावधान के अंतर्गत मांगी जा सकने वाली गुजारा भत्ता राशि की सीमा क्या है?

उत्तरः धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता की राशि की कोई सीमा नहीं है।

प्रश्न क्या अंतरिम गुजारा भत्ता भी दिया जा सकता है ?

उत्तरः हां, अंतरिम गुजारा भत्ता भी दिया जा सकता है।

प्रश्न किन-किन अदालतों को धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र को सुनने व फैसला करने का अख्र्यार है?

उत्तरः किसी भी जिला के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक मैजीस्ट्रेट की अदालत में कार्यवाही की जा सकती है:-

क. जहां पर वह, अथवा

ख. जहां पर वह अथवा उसकी पत्नी, अथवा

ग. जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा, अथवा नाजायज बच्चे की माता के साथ रहा

प्रश्न **न्यायालय के आदेश का निष्पादन कैसे किया जा सकता है?**

उत्तरः न्यायिक दण्डाधिकारी दोषी को हर माह की चूक के लिए एक माह तक की सिविल कारावास में भेज सकता है।